

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांक:- 07-02-2024

अपील संख्या 306/23
(जीसीएमएस संख्या 2023/387)

1. मोहनलाल पुत्र गोपीराम जाति अरोड़ा निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-अपीलांट

-बनाम-



1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

-रेस्पोंडेन्ट


अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 22-03-2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 22-03-2000 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर


3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पुगल में चक 1 जेडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 175/38 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा कालान्तर में अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी आवंटन हेतु निलामी में उपस्थित नहीं आया, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।



इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22-03-2000 के विरुद्ध अपील दिनांक


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

08-11-23 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं आने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।




(1) जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22-03-2000 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 08-11-2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी एक ग्रामीण परिवेश का काश्तकार व्यक्ति है, जिससे यह अपेक्षा नहीं रखी जा सकती कि वह न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रख सके। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तहसील पूगल में चक 1 जेडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 175/38 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के आवंटन की कुल कीमत की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किया गया व उक्त राशि जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

(4) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो।

(5) यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा तहसील खाजुवाला में चक 1 जेडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 175/38 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभिभाषक अपीलांट द्वारा बतौर सबूत प्रस्तुत जमाबंदी सवन्त 2076-2079 के अनुसार उक्त रकबा आज दिनांक को अराजीराज दर्ज है व अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:-

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner allotted land and cost to be deposited by allottee - Allotment cancelled for non payment - Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar - Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice allotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



चूंकि वादगत् भूमि प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के अनुसार आज दिनांक को भी आराजीराज है तथा अन्य किसी को आवंटित भूमि नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त नजीर मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 22-03-2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं की गई हो तो ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रार्थना पत्र नियमानुसार उसकी आज दिनांक की पात्रता की जाँच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 7/2/24 को सरे इजलास सुनाया गया।



(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)

राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर